अध्याय 6

केंद्रीय विक्रय कर

1956 का 74

77. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 6क का संशोधन।
10 धारा 6क में,—

(क) उपधारा (2) में, "विशिष्टियां सही हैं" शब्दों से आरंभ होने वाले और "जिसकी बाबत घोषणा है, संचलन" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "विशिष्टियां सही हैं और कोई अंतरराज्यिक विक्रय नहीं किया गया है तो वह इस अधिनियम के अधीन व्यौहारी द्वारा संदेय कर का निर्धारण करते समय या कर के निर्धारण से पूर्व किसी भी समय, उस आशय का आदेश कर सकेगा और तदुपरांत उस माल का, जिसकी बाबत घोषणा है, संचलन, उपधारा (3) के
15 उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विक्रय के परिणामस्वरूप होने से अन्यथा हुआ समझा जाएगा ।" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पुनर्निर्धारण को नए तथ्यों के प्रकटीकरण के आधार पर या किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर पुनरीक्षण को प्रविरत नहीं करेगी कि निर्धारण प्राधिकारी
20 के निष्कर्ष विधि के प्रतिकूल हैं और ऐसा पुनर्निर्धारण या पुनरीक्षण राज्य की साधारण विक्रय कर विधि के उपबंधों के अनुसार किया जा सकेगा ।"।

78. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम के अध्याय 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नए अध्याय 5क का अंतःस्थापन ।

'अध्याय 5क

25 ## राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अपीलें

18क. (1) किसी राज्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा धारा 6क की उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश या उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, समुचित राज्य की साधारण विक्रय कर विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा : राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अपीलें ।

30 परंतु ऐसी अपील में किन्हीं आनुषंगिक मुद्दों को, जिनके अंतर्गत कर की दर, निर्धारणीय आवर्त की संगणना और शास्ति भी है, उठाया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से, जिसको उस उपधारा में निर्दिष्ट आदेश व्यथित व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु किसी राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण द्वारा धारा 25 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन प्रथम अपील
35 प्राधिकरण को अग्रेषित की गई और नियत दिन से ठीक पूर्व उस प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी अपील को ऐसे नियत दिन को राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अंतरित किया जाएगा और उसे उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील समझा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "नियत दिन" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

40 (3) राज्य का उच्चतम अपील प्राधिकरण, दोनों पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, समुचित आदेश पारित कर सकेगा ।

(4) राज्य का उच्चतम अपील प्राधिकरण, जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसी अपील की सुनवाई और विनिश्चय, अपील फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कर सकेगा ।

http://indiabudget.nic.in

(5) किसी राज्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का उच्चतम अपील प्राधिकरण, आवेदक के आवेदन पर और सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, जिसके अंतर्गत उसी माल के संबंध में अन्य राज्यों में स्थानीय या केंद्रीय विक्रय कर मद्दे किसी रकम का निक्षेप भी है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, रोकादेश पारित कर सकेगा और ऐसे आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपील के ग्रहण किए जाने से पूर्व निक्षिप्त किए जाने वाले, यथानिर्धारित कर के भाग को उपदर्शित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 25 के प्रयोजनों के लिए, "किसी राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित, किसी राज्य की साधारण विक्रय कर विधि के अधीन स्थापित या गठित, उच्च न्यायालय के सिवाय, कोई प्राधिकरण या अधिकरण या न्यायालय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ।'।

धारा 20 का संशोधन ।

79. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) और उसके अधीन स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण द्वारा स्टाक अंतरण या माल के पारेषण से संबंधित विवाद्यकों का, जहां तक उनमें अंतरराज्यिक प्रकृति का कोई विवाद अंतर्वलित है, अवधारण करने के लिए पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध, अपील, प्राधिकरण को होगी ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

80. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 22 में,—

(क) "पूर्व निक्षेप" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "निक्षेप" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) प्राधिकरण, किसी राज्य द्वारा संगृहीत ऐसे कर के, जो प्राधिकरण द्वारा उस राज्य को देय नहीं अभिनिर्धारित किया गया है, प्रतिदाय के लिए निदेश जारी कर सकेगा या वैकल्पिक रूप से, उस राज्य को प्रतिदेय रकम को उस राज्य को अंतरित करने का निदेश दे सकेगा, जिसको उसी संव्यवहार के संबंध में केंद्रीय विक्रय कर देय है :

परंतु राज्य द्वारा प्रतिदाय किए जाने के लिए निदेश की गई कर की रकम उसी संव्यवहार पर अपीलार्थी द्वारा संदेय केंद्रीय विक्रय कर की रकम से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 25 का संशोधन ।

81. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।